न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
14/20	एफएसएस एक्ट, 2006	03/12/2020

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. शरद कुमार गर्ग पुत्र श्री रमेशचन्द्र गर्ग उम्र लगभग 38 वर्ष जाति महाजन (एफबीओ व मौके पर विक्रेता) फर्म गर्ग मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्टस् ,कचहरी रोड ,गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी सरकारी अस्पताल के सामने ,वजीरपुर तहसील व पुलिस थाना वजीरपुर।
2. श्रीमति विजय गर्ग पत्नि श्री केशव कुमार गर्ग जाति महाजन (मालिक) फर्म गर्ग मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्टस् ,कचहरी रोड ,गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी सरकारी अस्पताल के सामने ,वजीरपुर तहसील व पुलिस थाना वजीरपुर।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 10.07.2020 को लगभग 12:05 पीएम पर दौराने गश्त फर्म गर्ग मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्टस कचहरी रोड गंगापुर सिटी पर श्रीमति सुनिता मीना प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूदा व्यक्ति ने अपना नाम शरद कुमार गर्ग पुत्र श्री रमेशचन्द्र गर्ग उम्र लगभग 38 वर्ष जाति महाजन बताया वह स्वयं को फर्म का विक्रेता तथा श्रीमति श्रीमति विजय गर्ग पत्नि श्री केशव कुमार गर्ग जाति महाजन को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने शरद कुमार गर्ग को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। उक्त दुकान/डेयरी के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ दूध (खुला) लगभग 50 लीटर एक एल्यूनियम के भगोने में रखा हुआ था। भगोने पर दूध की किस्म अंकित नहीं थी। एफबीओ शरद कुमार गर्ग ने दूध मिश्रित होना बताया। खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला का निरीक्षण करने पर उस पर मिलावट का शक होने पर मौके पर मोजूद विक्रेता शरद कुमार गर्ग से उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने को कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये ।

आवेदक द्वारा एल्यूमिनियम के भेगोने में रखे हुए खाद्य पदार्थ पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) को अच्छी तरह हिला मिला कर उसमें से 2 लीटर मिश्रित दूध (खुला) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरिदा जिसकी किमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 100/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शिशि एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक लिफाफें में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द शिशि व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा श्री शुभम सूचना सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 13.07.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो शीशी भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2020/1049 दिनांक 30.07.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/903/एक्ट/2020/959 दिनांक 22.07.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (खुला) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

अतिरेक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/903/एक्ट/2020/959 दिनांक 22.07.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त ने कभी भी दूध खुला का विकय नहीं करता है। अभियुक्तगण दूधियायों से दूध कय कर उक्त दूध को अपने कारखाने पर ले जाता है तथा दूध की टेस्टिंग के पश्चात् उसे पॉलिपैक बनाकर उक्त परिसर से व अन्य परिसरों से केशव मिल्क के नाम से विकय किया जाता है। आवेदक द्वारा दूधियायों से खरीदे गये उक्त दूध को गलत तरीके से आम जनता को विकय हेतु रखा होना आवेदक श्री प्रेमचंद जैन ने गलत तरीके से दर्शाया है। आवेदक द्वारा उक्त केस गलत तरीके से बनाया गया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त से खाली कागजों में हस्ताक्षर कराये गये थे,साथ ही प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/903/एक्ट/ 2020/959 दिनांक 22.07.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है, आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से 20,000 (बीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...12.06.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी